UPGK010052482026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–2301/2026,
परमेश्वरी पत्नी सुमित,
निवासी–मंझरिया विस्टौल, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।

...........आवेदिका/अभियुक्ता

प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य

...........प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या–244/2026,
धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 103(1)
भारतीय न्याय संहिता
थाना–रामगढ़ताल, जनपद– गोरखपुर।

आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदिका/अभियुक्ता परमेश्वरी की तरफ स` अपराध संख्या–244/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना–रामगढ़ताल, जनपद– गोरखपुर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथनानुसार दिनांक 28.04.2026 को रात्रि करीब 9.50 बजे वादी मुकदमा झन्नेलाल के पड़ोस के रहने वाले राजकुमार, सुमित, लहरी, रामावती, नेहा, परमेश्वरी व अंजली एक राय होकर कुत्ते को खाना खिलाने की बात पर हुए विवाद को लेकर वादी के भाई अक्षयवर, पप्पू और अक्षयवर की लड़की आराधना, लड़का विनय को लाठी–डण्डा और धारदार हथियार से लैस होकर जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिये। गॉव व पड़ोस के लोगों द्वारा बीच–बचाव करने के बाद उपर से मुल्जिमान गाली व धमकी देते हुए मोके से भाग गये। उक्त घटना में वादी के अक्षयवर और पप्पू को प्राणघातक चोटें आई जिसका दवा ईलाज रिजेन्सी हास्पिटल, गोरखपुर में चल रहा है।

दौरान ईलाज घटना में आई चोटों के कारण आहत अक्षयवर व पप्पू की मृत्यु हो गई।

विवेचना के क्रम में मृतक अक्षयवर का शव विच्छेदन कराया गया है। शव विच्छेदन आख्या में मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटें पाई गई–

1. Stitched wound of C shape of left temporal parietal region with 38 metal steeple of length 30cm, on cutting stitched underneath hematoma present underlying skuli bone absent underneath brain and brain membrane hematoma present.

2. Stitched wound 7 stitches of length on right occipital region, on cutting stitched underneath hematoma present, on opening skull bone underneath brain and brine membrane hematoma present.

3. Abrasion of size 3cm x 0.5cm in right front of neck.

4. Lacerated wound of size 1cm x 1cm x muscle deep on right side of chest.

5. Stitched wound with 7 stitches of length 10cm on right side abdomen, on cutting stitched underneath skull bone recovered over muscle.

विवेचना के क्रम में मृतक पप्पू का शव विच्छेदन कराया गया है। शव विच्छेदन आख्या में मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटें पाई गई–

1. Stitched wound U shape with 40 metal steeple of length 32cm over temporo-perito frontal region, on cutting stitched underneath hematoma present underlying skull bone absent underneath brain and brain membrane hematoma present.

2. Stitched wound with 12 stitches over top of head of length 8cm, on cutting stitched underneath hematoma present, on opening skull bone underneath brain and brine membrane hematoma present

3. Stitched wound with 12 stitches over right side of abdomen of length 11cm, on cutting stitched underneath skull bone recovered over muscle.

4. Contused swelling in front of neck, on cutting skin underneath hematoma present.

चिकित्सक की राय के अनुसार मृतकगण की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी आग्नेयास्त्र की चोट के परिणामस्वरूप रक्तस्रावी सदमा से होना बताया गया है।

विवेचना के क्रम में आहत आराधना का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में आहत आराधना के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई–

Injury No. 1, ABRASION OF SIZE 2CM X 0.3CM PRESENT ON RIGHT

SIDE OF FOREHEAD, 4CM ABOVE RIGHT EYEBROW.

विवेचना के क्रम में सह अभियुक्तगण राजकुमार, सुमित व लहरी को पुलिस बल द्वारा दिनांक 29.04.2026 को गिरफ्तार किया गया एवं उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक टूटा हुआ बांस का डण्डा व एक लोहे का सब्बल बरामद किया गया।

3– आवेदिका / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका / अभियुक्ता सर्वथा निर्दोष व निरपराध है। आवेदिका वादी मुकदमा की पट्टेदार है। वादी मुकदमा तथा पप्पू, अक्षयवर, आराधना ने आवेदिका के परिवार से विवाद करते समय आवेदिका की सास रमावती का बाल खींचते हुए मारना–पीटना शुरू कर दिया तभी सुमित घर से बाहर निकला और हाथापाई में शामिल हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में डण्डा तथा सब्बल तक से मार–पीट हो गया। उसी दौरान आवेदिका के परिवार को भी चोटें आई और वादी पक्ष के अक्षयवर व पप्पू को धक्का–मुक्की में चोटें आई। वादी मुकदमा के अक्षयवर व पप्पू को आवेदिका के परिवार वालों द्वारा द्वारा केवल डण्डा और धारदार हथियार से मारने की बात कही गई है, जबकि किसका क्या रोल है स्पष्ट नहीं है। प्रस्तुत घटना में आवेदकगण की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बतायी गयी है। अवेदिका को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदिका / अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि कथित घटना की तिथि को आवेदिका / अभियुक्ता द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुकदमा के परिवार के अक्षयवर, पप्पू व आराधना को डण्डे व लोहे के सब्बल से मार–पीट कर गम्भीर एवं प्राणघातक चोटें पहुँचाई गई जिसके परिणामस्वरूप दौरान ईलाज अक्षयवर व पप्पू की मृत्यु हो गई। तद्नुसार उन्होंने अपराध की गम्भीरता एवं आवेदिका / अभियुक्ता की भूमिका को देखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदिका / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– आवेदिका / अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है तथा साक्ष्य संग्रह की कार्यवाही शेष है। मामले के गुण–दोष पर अपनी

कोई राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदिका/अभियुक्ता की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

7– निष्कर्षतः आवेदिका/अभियुक्ता परमेश्वरी की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
दिनांक–02.06.2026 **सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**
J.O.Code No. 1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.02 16:19:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court